रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112026-278151
CG-DL-E-24112026-278151

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6112] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 23, 2026/अग्रहायण 2, 1948
No. 6112] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 23, 2026/AGRAHAYANA 2, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2026

का.आ. 6352(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3937(अ), तारीख 28 अगस्त, 2025 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में,-

(क) पैरा 1 में क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"1.	डॉ. वेणु वासुदेवन कैवल्य, वीआरए ए-17, विमेन्स कॉलेज लेन, वजुथाकौड, तिरुवनंतपुरम - 695014 (केरल)	-अध्यक्ष"

(ख) पैरा 6 के पश्चात्, निम्निलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"6क. अध्यक्ष के रूप में डॉ. वेणु वासुदेवन का कार्यकाल प्राधिकरण के अन्य सदस्यों के कार्यकाल के के साथ समाप्त होगा।"।

[फा. सं. आईए3-1/1/2021-आई.ए.III]

उदय चौधरी, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3937(अ) तारीख 28 अगस्त, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2026

S.O. 6352(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, the Central Government in consultation with the Government of Kerala, hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3937(E), dated the 28th August 2025, namely:−

2. In the said notification, −

(a) in paragraph 1, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: −

(1)	(2)	(3)
"1.	Dr. Venu Vasudevan, Kaivalya, VRA A-17, Women's College Lane, Vazhuthacaud, Thiruvananthapuram – 695014 (Keralam)	-Chairman;"

(b) after paragraph 6, the following paragraph shall be inserted, namely: −
"6A. The tenure of Dr. Venu Vasudevan as Chairman shall be co-terminus with the tenure of the other Members of the Authority.".

[F. No.IA3-1/1/2021-IA.III]

UDAY CHAUDHARI, Jt. Secy.

Note. – The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3937(E), dated the 28th August, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
BHABAJIT DEKA